प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 5/ 2009

1. गिरधारी साहू, पिता- कृपाराम साहू, आयु- लगभग 21 वर्ष है,

2. गिरवर साहू, पिता- कृपराम साहू, आयु- लगभग 22 वर्ष है,

3. कृष्ण साहू, पिता- रामदयाळ साहू, आयु- लगभग 19 वर्ष,

सभी निवासी- ग्राम मुजगाहन, पुलिस स्टेशन अर्जुन, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

---- आवेदकगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- जिला दण्डाधिकारी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

आवेदकगण की ओर से : श्री शिवेंदु पण्ड्या, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री अनिल पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल</u>

<u>बोर्ड पर आदेश</u>

<u>17.09.2018</u>

1. तारीख वाले निर्णय के विरुद्ध तत्काल पुनरीक्षण का निर्देश दिया गया है 27.12.2008 2008 के दाण्डिक प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी द्वारा पारित 2008 के दाण्डिक अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.), धमतरी

द्वारा पारित निर्णय, 2008 के दाण्डिक प्रकरण में धमतरी प्रथम श्रेणी ने प्रत्येक आवेदक/ आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाईः

<u>दोषसिद्धि</u>		<u>दण्डादेश</u>
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत		2 वर्ष के सश्रम कारावास और रु. 1,000/- का अर्थदण्ड

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 15.03.2006 को विष्णु गोंड और गोपाल तिवारी के बेटे मध्य एक विवाद हुआ था। कब परिवादी विचित्र वीर उर्फ मुन्ना (अ.सा.1) ने हस्तक्षेप करने का प्रयास, कथित तौर पर, सभी आवेदकों/अभियुक्तों ने उसके साथ गाली- गलौच किया और उस पर लाठी और रॉड से हमला किया। परिवादी को गंभीर चोटें आईं। परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.**P**1) दर्ज की गई थी। डॉ. आर. एच. मिश्रा (अ.सा.11) ने 15.03.2006 को उसकी चिकित्सकीय जांच की। उनकी रिपोर्ट प्र.**P**.12 है जिसमें उन्होंने कुल 6 चोटें पाई हैं। चोट सं. 2 और 5 गंभीर प्रकृति की थीं और अन्य चोटें साधारण प्रकृति की थीं। अन्वेषण के दौरान, आवेदक कृष्ण साहू से प्र.**P**.3 के माध्यम से एक डण्डा जब्त किया गया था। आवेदक गिरवर साहू से प्र.**P**.4 के माध्यम से एक लोहे की छड़ जब्त की गई। आवेदक गिरधारी साहू से एक से प्र.**P**.4 के माध्यम से एक और लोहे की छड़ जब्त की गई। जब्त की गई वस्तुओं की डॉ. आर. एच. मिश्रा (अ.सा.11) द्वारा भी जांच की गई। उनकी रिपोर्ट प्र.**P**.14 और प्र.**P**.15 हैं जिसमें उन्होंने राय दी है कि परिवादी को लगी चोटें उक्त छड़ और डंडे से कारित हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिर पर मौजूद चोट सं.1 और 2 प्राणघातक हो सकते हैं। अन्वेषण पूर्ण होने पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326, 294, 506-ख, 323, 34 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए आवेदकों/अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विचारण न्यायालय ने आवेदकों/अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 326/34 और 506 भाग-**II** के तहत आरोप विरचित किए गए। विचारण के बाद, विचारण न्यायालय ने भा.द.वि. की धारा 294 और 506 भाग-**II** के तहत आरोपों से आवेदकों को दोषमुक्त कर दिया, परन्तु उन्हें भा.द.वि. की धारा 326 के तहत दोषसिद्ध कर दण्डादेश दिया, जिसकी पुष्टि अपीली न्यायालय द्वारा 27.12.2008 दिनांकित निर्णय के माध्यम से की गई है।

4. आवेदकों/अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि यद्यपि परिवादी विचित्र वीर उर्फ मुन्ना (अ.सा.1) के शरीर पर 6 चोटें आईं, केवल चोट सं. 2 और 5 गंभीर प्रकृति की पाई गईं। कथित तौर पर, उन पर छड़ और डंडे से हमला किया गया था, जो घातक हथियारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः भा.द.वि. की धारा 326 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। आगे वे तर्क करते हैं कि भले ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्षय को जैसा है वैसा ही लिया जाए, आवेदकों द्वारा किया गया कृत्य केवल भा.द.वि. की धारा 325 के दायरे में आता है। आगे उनका तर्क है कि सभी आवेदक पहले ही लगभग 15 दिन का कारावास भुगत चुके हैं और वे वर्ष 2006 से वाद का सामना कर रहे हैं और यदि उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें पहले से ही गुजारी जा चुकी अवधि का दण्डादेश दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आवेदकों/अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्क का विरोध करते हैं और दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हैं। आगे उनका तर्क है कि सिर पर 2 चोटें पाई गईं और डॉ. आर. एच. मिश्रा (अ.सा.11) की राय के अनुसार, सिर की दोनों चोटें आहत/शिकायतकर्ता के लिए प्राणघातक हो सकती हैं। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भा.द.वि. की धारा 326 के तहत आवेदकों को सही तरीके से सिद्धदोष किया है।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का उचित सावधानी के साथ परिशीलन किया है।

7. अपने प्रकरण के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 साक्षियों का परीक्षण किया है। उनमें से विचित्र वीर उर्फ मुन्ना (अ.सा.1) शिकायतकर्ता/आहत है, जिसने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय कुछ बच्चे एक- दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे। जब उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो सभी आवेदकों/अभियुक्तों ने उस पर हमला कर दिया। जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है, आवेदक गिरवर साहू ने उस पर मुक्कों से हमला किया और अन्य आवेदकों ने उस पर लोहे की छड़ों से हमला किया। उसने इस तथ्य से इनकार किया कि आवेदकों के साथ उसकी पहले कोई दुश्मनी थी। उसकी पत्नी शांताबाई (अ.सा.2) और उसकी बेटी लक्ष्मीबाई (अ.सा.4) के कथनों से उसके कथन की विधिवत पुष्टि होती है। वे प्रति- परीक्षण के दौरान दृढ़ रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. डॉ. आर. एच. मिश्रा (अ.सा.11) ने कथन किया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता/आहत विचित्र वीर उर्फ मुन्ना (अ.सा.1) का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट (प्र.**P**12) दी। उनके रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने परिवादी के शरीर पर कुल 6 चोटें पाईं। केवल चोट सं. 2 और 5 गंभीर प्रकृति की पाई गईं। उनके कथनानुसार, सभी चोटें कठोर और भोथरे वस्तु के कारित हुई थीं। उन्होंने उक्त चोट सं. 2 और 5 की एक्स-रे परीक्षण कराने की भी सलाह दी। चोट सं. 5 की एक्स-रे परीक्षण में यह गंभीर प्रकृति का पाया गया। यह पाया गया कि दाहिने हिस्से की 10वीं पसली टूट गई थी। यद्यपि इस साक्षी ने राय दी है कि चोट सं. 2 भी गंभीर प्रकृति की थी, लेकिन किस आधार पर उन्होंने ऐसा कहा, यह स्पष्ट नहीं है। जैसा कि इस साक्षी ने कहा, चोट सं. 2 की एक्स-रे परीक्षण में यह पाया गया कि दाहिने पार्श्व क्षेत्र में चोट का घनत्व कुछ हद तक बढ़ गया था।

9. घोर उपहति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"320. घोर उपहति — उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में "घोर" कहलाती है —

पहला — पुस्त्वहरण।

दूसरा — दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।

तीसरा —दोनों में से किसी भी कान की श्रवण-शक्ति का स्थायी विच्छेद।

चौथा— किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद।

पाँचवाँ— किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास।

छठा— सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण।

सातवाँ— अस्थि या दाँत का भंग या विसंधान।

आठवां— कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम-काज को करने के लिए असमर्थ रहता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. परिवादी को आई चोट सं. 2 भा.द.वि. की धारा 320 में दी गई गंभीर उपहति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केवल चोट सं. 5 गंभीर प्रकृति की थी और अन्य सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं।

11. कथित तौर पर, परिवादी पर आवेदकों द्वारा लोहे की छड़ से हमला किया गया था। चिकित्सकीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि केवल चोट सं. 5 गंभीर प्रकृति की थी जिसके परिणामस्वरूप दाहिनी ओर की 10 वीं पसली टूट गई थी। यद्यपि सिर के पार्श्व क्षेत्र पर 2

चोटें पाई गईं, लेकिन वे प्रकृति में सामान्य पाई गईं। इन परिस्थितियों में, उन 2 चोटों को प्राणघातक नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में, लोहे की छड़ें जिनसे चोटें लगी थीं, उन्हें घातक हथियार नहीं माना जा सकता है। अतः मेरे सुविचारित मत में, भा.द.वि. की धारा 326 के तहत अपराध निर्मित नहीं होता है। इसके बजाय, भा.द.वि. की धारा 325/34 के तहत आवेदकों/अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध निर्मित होता है। इसलिए, अपराध को भा.द.वि. की धारा 326 से भा.द.वि. की धारा 325/34 में परिवर्तित कर दिया जाता है और तदानुसार आवेदकों को भा.द.वि. की धारा 325/34 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

12. जहाँ तक दण्डादेश का संबंध है, आवेदकगण पहले ही 15 दिन कारावास में गुजार चुके हैं। वे वर्ष 2006 से वाद का सामना कर रहे हैं। मेरे सुविचारित मत में, यह न्याय के हित में होगा कि भा.द.वि. की धारा 325/34 के तहत दोषसिद्धि के लिए आवेदकों को उनके द्वारा पहले से कारावास में गुजारी जा चुकी अवधि के साथ और इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 2 माह की अवधि के भीतर प्रत्येक आवेदक द्वारा देय रु.30,000/- के अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया जाए। तदानुसार आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर, आवेदक को 6 माह के लिए सश्रम कारावास भुगतना होगा। यदि कोई राशि पहले ही अर्थदण्ड के रूप में जमा की जा चुकी है, तो उसे आज अधिरोपित किए गए अर्थदण्ड की राशि में समायोजित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. परिणामस्वरूप, ऊपरोक्त सीमा तक पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाता है।

14. अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों को जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति के साथ तुरंत वापस भेजा जाए।

सही /-

(अरविंद सिंह चंदेल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur